

किन्तु अपेक्षित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व 01/07/2021 तक से अनुमोदन प्राप्त कर परिचय कार्डों का उपलब्ध कराना होगा। संस्था उन्हें प्रवेश की इच्छा व्यक्तित्व के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश अनुमोदित नहीं प्रदान की जाएगी।

- ✓ उच्च इंग्लिश बोलचाल द्वारा प्रवेश हेतु निम्न नवीनतम अख्यत नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि पृष्ठि, स्तान, छात्र-छात्रा, उपकरण, प्रवेश किफा देने वाला मुक्त, आवास/मुक्त आदि पर विस्तृत उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिक्षण हेतु उपर्युक्त सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के साथ शैला विद्यार्थी के सफलता में समस्त आसक्ति/अपेक्षा सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संवर्धन परियोजना को चलाने वाले हेतु निर्दिष्ट समिति के समक्ष उपलब्ध कराने की आवश्यक, भूमि-भवन, पानी/बिज, उपकरण/सुविधाएं एवं यदि संस्था द्वारा किसी अन्य परियोजना के संवर्धन में प्रयोग किया जाता है और परिणत हो इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपर्युक्त एक प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संवर्धन संस्था की सम्पदाएं समस्त विधेय करने की आवश्यकता होगी।
- ✓ संस्था के समस्त निर्दिष्टन योजना यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य समस्त-सम्पत्त (एन्वयरमेंट/इन्फ्रास्ट्रक्चर/अपेक्षा) परिचय के समस्तसुचारु उपलब्ध नहीं प्रदान प्रदान है तो संस्था की सम्पदाएं समस्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्पदाएं जारी का अनुपालन न मिलने वाले अथवा जारी का उपलब्धन मिलने वाले की स्थिति में निम्नप्रकार अनुपालन/समस्त कार्यवाही की जाएगी।

(सुनीत कुमार चौधरी)

सचिव

पूना- प्राविण्यपरिषद् समस्त/2021/2528-8809

दिनांक: 28/06/2021

पंजीति।

पुनःपंजीति: DAYANAND CHIRANATH COLLEGE OF PHARMACY VILL. BICHHIPUR, POST. KENWA,
GHATAMPUR, KAMPUR NAGAR, 201206



(सुनीत कुमार चौधरी)

सचिव

**कार्यालय
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या - राष्ट्रीय/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 14-9-2020

-कार्यालय ड्राफ्ट-

राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राष्ट्रीय कार्यालय लोक इन्फोर्मा नई दिल्ली द्वारा ईमेल सं. 2020-21 हेतु विस्तार/समीक्षा/सर्वोच्च शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किए जाने के संबंध में राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सभित्त द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अधिसूचित गई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व के सम्बन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पारदर्शक/प्रवेश क्षमता सुदृढ गठित अन्य नवीन विचार कर्ता हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त में अनुक्रम में सम्बद्धता सभित्त की बैठक के नट-3 में, दिल्ली का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम समीक्षा करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता सभित्त द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मरी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएँ, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठरीबोर्ड द्वारा उन्हें नथाना अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठरीबोर्ड द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सामुख अन्तिम पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर सभित्त द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सभित्त सत्र 2020-21 हेतु पीठरीबोर्ड द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुसार सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को उत्तर प्रदेश सम्बद्धता सभित्त की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संख्या को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित सत्रों के अन्तिम पाठ्यक्रम एवं नवीन अधिसूचित क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का पता	पाठ्यक्रम का नाम	पीठरीबोर्ड द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित क्षमता	पीठरीबोर्ड द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	3025	इंफो-टेक एनलॉज एडवेंस डीएल एलई, 80-81, पारसपुर, लखनऊ, 2261	डिप्लोमा इन फार्मरी	25	50

सम्बद्धता हेतु 387

- ✓ संख्या एनआईसीआई/पीठरीबोर्ड द्वारा निर्धारित की गयी सत्रों का पूर्ण भरण कीजिये।
- ✓ संख्या उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एन 3025 तथा प्राथमिक शिक्षा नीतिपर विद्यमान 1982 संशोधित विनियमों-2018 तथा अन्य निर्दिष्ट नियमों एवं व्यवहारीय अनुसूचनाओं को ध्यान में रखकर निर्धारित सत्रों हेतु निर्धारित शुल्क तीन अंशों में प्रत्येक संस्था को 20,000/- प्रतिवर्ष, दो अंशों फार्मरी पाठ्यक्रम हेतु 50,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक अंश नवीन अधिसूचित क्षमता के अन्तिम पाठ्यक्रम के अन्तिम सत्र हेतु 100,000.00/-

(Handwritten signature)

**कार्यालय
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद
अलवर इलेक्ट्रॉनिक सिटी**

संख्या- राशि/परिषद संख्या/2019/5223

संख्या- दिनांक: 09-08-2019

-कार्यालय द्वारा-

एक संशोधन मसौदा में राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा आयोग MA, NO. 1070/2019 IN C.A, NO. 5048/2012 में एक संशोधन द्वारा प्रति 20-7-2019 के अनुपालन में प्राथमिक शिक्षा परिषद, अलवर, अलवर के समझौता प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 09-08-2019 को अलवर प्राथमिक शिक्षा परिषद, अलवर अलवर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यालय में बैठक संभव हुई।

एक संशोधन मसौदा द्वारा प्रति अलवर के अनुपालन में प्रस्ताव नहीं संभवों को सब 2018-20 हेतु परिषद से संशोधन प्रदान किए जाने हेतु प्रदान समझौता समिति की बैठक को सब-2 में अलवर के समझौता निर्धारण प्रस्तुत किए गए। समझौता समिति द्वारा आठ बिंदु-बिंदु का निम्नलिखित किया गया :-

एक संशोधन मसौदा में राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा संख्या MA, NO. 1070/2019 IN C.A, NO. 5048/2012 में एक संशोधन मसौदा द्वारा प्रति अलवर दिनांक 20-7-2019 के अनुपालन में संभवों को सब 2018-20 हेतु परिषद से समझौता प्रदान किए जाने के बारे में समिति द्वारा बिंदु-बिंदु किया गया एवं निर्णय लिया गया कि संख्या द्वारा 5048/2012/राशि, निकाय/राशि एवं परिषद से संबंधित संभवों का सब 2018-20 के प्रदान होने से पूर्व पूर्ण करण सुनिश्चित करें, एवं इस संभव में संभवों से सम्बन्धित कार्य कर लिए जाए कि परिषद की निर्देशन समिति द्वारा निर्देशन के प्रदान नदि 5048/2012/राशि/निकाय/राशि/परिषद से प्राप्त/प्रदान/वै एवं प्राप्त-सम्भव में यदि कोई कमी पायी जाती है तो परिषद द्वारा संभव की समझौता प्रस्ताव कर दी जाएगी, जिससे संभव को कोई अप्रति नहीं होगी।

एक निम्नलिखित संबंधित संभव को समझौता समिति द्वारा दिए गए निर्णय के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद, एक संशोधन द्वारा सब 2018-20 हेतु निर्धारित सभी के अन्तर्गत प्रदान एवं सभी बिंदु-बिंदु प्रदान हेतु समझौता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	प्राप्त संभव	निर्णय का नाम	अनुपालन का नाम	5048/2012/राशि/निकाय/राशि/परिषद द्वारा सब 2018-20 में अनुमानित किए गए	परिषद द्वारा सब 2018-20 में अनुमानित किए गए
1	राशि	राशि/निकाय/राशि/परिषद की निकाय/राशि/परिषद के समझौता प्रदान	निर्देशन द्वारा प्रदान	00	00

संभव हेतु करें

- ✓ संभव 5048/2012/राशि/निकाय/राशि/परिषद द्वारा निर्धारित की नहीं करें वा पूर्ण प्रदान नहीं।
- ✓ संभव अलवर प्राथमिक शिक्षा परिषद एक संभव एक प्राथमिक शिक्षा परिषद निम्नलिखित 1000 आठ अन्तर्गत निर्णय को अलवर हेतु अनुपालन सभी का सुझाव निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सुझाव बीच निकाय प्रदान प्रदान हेतु सब 2018-20/- निर्धारण, को निकाय निकाय प्रदान हेतु सब- 5048/2012/- निर्धारण एवं एक सब की प्रति समझौता/राशि/परिषद प्रदान के निर्धारण हेतु सब- 2018-20 निर्धारण सुझाव की प्रदान प्राप्त/प्रदान में प्रदान किए अलवर। प्रदान के निर्धारण प्राप्त/प्रदानों में सुझाव के प्रदान में प्रदान प्रदान पर प्रदान द्वारा निर्धारित किए जाने वाले समझौता प्रदान की, को अनुपालन प्रदान की लिए जाए अलवर प्रदान। और निर्धारण समिति द्वारा यदि सब 2018-20 हेतु प्रदान का सुनिश्चित किया जाता है, तो प्रदान की निर्धारण पर प्रदान होगी।

